प्रथम सूचना रिपोर्ट (अन्तर्गत धारा 154 दंण्ड प्रकिया संहिता)

	(अन्तर्गत धारा 154 देण्ड प्रोक्रिया साहता)
1.	जिला- जयपुर, थाना- प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यू० जयपुर, वर्ष-2022 प्र0इ०रि० सं.
	144/22 दिनांक 27/04/2022
2.	(i) अधिनियम:- धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित)अधिनियम 2018 व 420,
	120बी भा0दं0सं0
	(II) अधिनियम धारार्ये
	(।।।) अधिनियम धारायें
	(IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें
3.	रोजनामचा आम रपट संख्यां समयं २००००.
	(ब) अपराध घटने का दिन- मंगलवार, दिनांक 26.04.2022 समय 11.30 एएम
	(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक समय पीएम
4.	सूचना की किस्म :- लिखित /मौखिक- लिखित
5.	घटनास्थल :- कार्यालय वी-7 इन्फोटेक, सेकेण्ड फ्लोर, गंगा टॉवर, चित्रकुट, टेगोर नगर,
	एसबीआई चौराहा, जयपुर।
	(अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरी:–बजानिब पश्चिम दिशा करीब 09 किमी
	(ब) बीट संख्याजयरामदेही सं
	(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
	पुलिस थानाजिलाजिला
6.(1)	परिवादी /सूचनाकर्ता :-
	(अ) नाम- श्री लोकेश जीनगर
	(ब) पिता/पित का नाम- स्व. श्री श्यामलाल जीनगर
	(स) जन्म तिथी- उम्र- 35 वर्ष
	(द) राष्ट्रीयता - भारतीय
	(य) पासपोर्ट संख्याजारी होने की तिथि
	जारी होने की जगह
	(र) व्यवसाय - प्राईवेट नौकरी
	(ल) पता- निवासी नंदन वन के पास, ग्राम पोस्ट गाडरियावास, धरियावद, जिला प्रतापगढ़
	हात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : -
1-	श्री रामकरण सिनसिनवार पुत्र श्री जालूराम, जाति जाट, उम्र 38 वर्ष निवासी ताजसर, थाना
	र शेखावाटी, जिला सीकर हाल सिग्नेचर ऑथोरिटी मैसर्स वेदान्ती सोल्यूशन एण्ड एन.सी.
	ईजेज, 73-ए, गीजगढ़ विहार, 22 गोदाम के पास, हवा सड़क जयपुर।
	श्री मनोज तंवर पुत्र श्री ओमप्रकाश तंवर, जाति माली, उम्र 38 साल निवासी म0नं0 33,
	पुरी, रामनगर, सोडाला जयपुर हाल डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, गुन सांई बाबा प्रा.लि. सेकेण्ड फ्लोर,
गंगा ट	<u> </u>
8.	परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण
9.	चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)

	चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य- 35,000 रूपये लिप्त सम्पति
11.	पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)
	[

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगार्ये):-

दिनांक 25-04-2022 को श्री दिनेश कुमार कानि0 553 भ्र0नि0ब्यूरो, प्रतापगढ़ मय परिवादी के उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार उपस्थित भ्र0नि०ब्यूरों, जयपुर देहात आए। परिवादी ने अपना नाम लोकेश जीनगर बताया। परिवादी श्री लोकेश जीनगर पुत्र स्व. श्री श्यामलाल जीनगर, उम्र 35 वर्ष निवासी नंदन वन के पास, ग्राम पोस्ट गाडरियावास, धरियावद, जिला प्रतापगढ़ ने ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होकर इस आशय की लिखित शिकायत पेश करी कि ''सेवा में श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जयपुर, राजस्थान विषय - निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान जयपुर के अधिकारियों द्वारा एम/एस वेदान्ति सोल्यूशन एण्ड एन.सी. इन्टरप्राइजेज के अधिकारियों के मार्फत रिश्वत लेने के कम में। महोदयजी, निवेदन है कि राष्ट्रीय पोषण अभियान के अन्तर्गत योजना चल रही है उसमें कर्मचारियों के चयन हेतु निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान, जयपुर, 2 जलपथ, गांधीनगर, जयपुर द्वारा ईन्टेण्डर के मार्फत एम/एस वेदान्ति सोल्यूशन एण्ड एन. सी. इन्टरप्राइजेज, 73ए, गीजगढ विहार कॉलोनी, 22 गोदाम के पास, हवा सडक, जयपुर को ठेका दिया गया था। निदेशालय के निर्देशानुसार उक्त कंपनी द्वारा जो अभ्यर्थी आवेदन भरते है उनको कॉल करके उनका इन्टरव्यू तथा कम्प्यूटर टेस्ट आदि लेने के बाद उक्त कंपनी द्वारा अभ्यर्थियों की सूची चयन हेतु निदेशालय को भेज दी जाती है। उक्त कंपनी के अधिकारी निदेशालय के अधिकारियों को रिश्वत के रूप में अभ्यर्थी से उसको दी जाने वाली सेलेरी का डेढ गुना रिश्वत प्राप्त कर निर्देशालय के अधिकारियों को भेजते हैं उन अभ्यर्थियों का ही चयन होता है। मै तथा अन्य करीब 81 लोगों के इस संबंध में निदेशालय को वकील के मार्फत लीगल नोटीस दिया था। लेकिन निदेशालय ने हमारे नोटीस आधारहीन बताते हुए खारिज कर दिया। इसलिए कुछ अभ्यर्थी परेशान होकर उक्त कंपनी के अधिकारियों के मार्फत रिश्वत देकर ड्युटी ज्वाईन कर ली है। मैने रिश्वत नहीं दी इसलिए मेरा अभी तक चयन नहीं हुआ है। उक्त कंपनी वेदान्ति सोल्यूशन एण्ड एन.सी. इन्टरप्राइजेज ने दिनांक 23/04/2022 को जरिये मेल मुझे इन्टरव्यू के लिए बुलाया है। मै दिनांक 25/04/2022 को उक्त फर्म के कार्यालय में इन्टरव्यू हेतु जाउंगा तो उक्त कंपनी के अधिकारियों द्वारा मुझसे निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान, जयपुर के अधिकारियों को देने के लिए रिश्वत की मांग की जाएगी। मै उक्त फर्म तथा निदेशालय के अधिकारियों को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। अतः श्रीमान की सेवा में रिपोर्ट प्रस्तुत है। कार्यवाही करने की कृपा करें। दिनांक 23/04/2022 एसडी लोकेश जीनगर प्रार्थी एसडी/-लोकेश जीनगर पुत्र स्व. श्री श्यामलाल जीनगर निवासी- वंदन वन के पास, ग्राम-पोस्ट- गाडरियावास, धारियावाद जिला- प्रतापगढ (राज0) मोबाईल नं. - 9929446792''। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की नियमानुसार फर्द ट्रांसक्रिप्ट व सीडीया तैयार की गई। फर्द ट्रांसक्रिप्ट से आरोपी द्वारा 45000/- रूपये की रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान 10,000/- रूपये मनोज तंवर को दिलवाने व शेष राशि 35000/- रूपये दिनांक 25-4-2022 को लेनदेन तय होना पाया गया।

परिवादी ने दरियाफत पर बताया कि मैंने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर के टोल फी नम्बर 1064 पर दिनांक 23.4.2022 को कॉल किया था, जिस पर मुझे श्री विक्रम सिंह जी अति पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो चित्तौडगढ़ के मोबाईल नम्बर दिये थे तथा उनसे मोबाईल फोन पर बात करने के लिये कहा था। इस पर मैंने श्री विक्रम सिंह जी अति पुलिस अधीक्षक से फोन पर वार्ता कर मेरे द्वारा प्रस्तुत उक्त शिकायत प्रार्थना पत्र के हालात निवेदन किये थे, जिन्होंने अग्रिम कार्यवाही हेतु मेरे पास भ्र.नि.ब्यूरो चौकी प्रतापगढ़ के कर्मचारी श्री दिनेश कानि. को भेजने हेतु कहा था। मेरे पास उक्त अति पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री दिनेश कानि. आ गया था, जिसके एवं मेरे मध्य अग्रिम कार्यवाही हेतु जयपुर में दिनांक 25.4.2022 को सुबह गंगा टॉवर, चित्रकुट में मिलना तय हुआ था। श्री दिनेश कानि. ने दिनांक 25.4.2022 को मुझे रिकॉर्डर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु दिया था। मै रिकॉर्डर लेकर गंगा टॉवर में द्वितीय तल पर स्थित वैदान्ती सोल्यूशन एंड एन. सी. इंटरपाईजेज के अधिकारी श्री रामकरण से मिला तो उन्होंने समेकित बाल विकास सेवाएं से

सम्बन्धित राष्ट्रीय पोषण अभियान में डी.सी. (डिस्ट्रीक्ट कॉर्डिनेटर) के पद पर लेने सम्बन्धी वार्ता की तथा मेरे टाईप टैस्ट आदि लिये हैं तथा मुझे पुनः 2.00 पीएम पर बुलाया तो मैं वापस श्री रामकरण से 02.00 पीएम के बाद जाकर मिला जिसने मुझे डी.सी. पद पर चयन करवाने हेतु 45,000/-रू की मांग की, मेरे पास 10,000/-रू थे जो श्री रामकरण ने अपने कर्मचारी श्री मनोज को बुलाकर दिलवाये हैं। मैंने उक्त समस्त वार्ता श्री दिनेश कानि. द्वारा उपलब्ध करवाये रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की है। मेरे द्वारा श्रीमान महानिदेशक भ्रानि.ब्यूरो, जयपुर के नाम शिकायत प्रार्थना पत्र लिखकर मेरे पास रखा हुआ है जो आपको प्रस्तुत कर दिया है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत उक्त शिकायती प्रार्थना पत्र एवं दिखाफत से मामला रिश्वत मांग व लेनदेन का पाया जाता है।

दिनांक 26-4-2022 को परिवादी श्री लोकेश जीनगर उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आया जिससे रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के क्रम में आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने की कहने पर परिवादी श्री लोकेश जीनगर ने अपने पास से पांच पांच सौ रूपये के 70 नोट कुल 35,000/- रूपये प्रस्तुत किये। जिन पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष श्री देवेन्द्र सिंह कानि0 68 से फिनोलफ्थलीन पाउडर लगाया जाकर मांग के अनुसरण मे आरोपी को देने हेतु परिवादी श्री लोकेश जीनगर के बदन पर पहनी हुई पेंट की लेफ्ट जेब में रखवाए गए। जिसकी फर्द पेशकशी नोट व दृष्टान्त फिनोलफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर एवं सुपुदर्गी नोट व सुपुर्दगी विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई।

दिनांक 26-04-2022 को समय 10.20 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी श्री लोकेश जीनगर, दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टॉफ मय ट्रेप बॉक्स मय सामान सरकारी के सरकारी वाहन वाहनो सिहत ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर गंगा टॉवर, टेगोर नगर, जयपुर के पास पहूंचकर ट्रेप जाल बिछाया गया।

समय करीब 11.30 एएम पर परिवादी श्री लोकेश जीनगर ने अपने मोबाईल फोन नं0 9929446792 से मन् पुलिस निरीक्षक के मो0नं0 9414022124 से मिस कॉल कर निर्धारित ईशारा किया। परिवादी का ईशारा पाते ही मन् पुलिस निरीक्षक, स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टॉफ गंगा टॉवर के अन्दर प्रवेश होता हुआ सेकेण्ड फ्लोर पर पहूंचा तो सीढीयो के पास अपना चश्मा उतारे हुए परिवादी श्री लोकेश जीनगर खड़ा हुआ मिला जिसको पूर्व में दिया गया विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित रखा गया। परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मै श्री रामकरण जी के पास उनके रूम मे गया तो जाते ही मैंने रामकरण जी से नमस्कार की तो रामकरण जी ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कुर्सी पर बैठने का ईशारा किया मै कुर्सी पर बैठ गया। उनके पास एक व्यक्ति ओर बैठा था। मैं उनको रिश्वती राशि देने लगा जिस पर रामकरण जी ने कहा कि मनोज को दे दो इसके बाद मैं मनोज के पास आया ओर रामकरण के कहेनुसार मेरी पेंट की जेब से पैतीस हजार रूपये रिश्वत के निकालकर श्री मनोज को दे दिए तो उन्होंने मुझसे रूपये लेकर अपने हाथो से गिनकर अपनी पेंट की लेफ्ट जेब में रख लिए। रिश्वत के रूपये देने के बाद वापस रामकरण जी के पास गया तो रामकरण जी ने अपने लेपटॉप में मुझे जो आज लिस्ट ज्योईनिंग के लिए निदेशालय भेजी जा रही है जिसमें मेरा नाम बताया और कहा कि आपका नाम लिख दिया गया है फिर मेने उनको निवेदन किया की निदेशालय के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को कुछ बाद में तो देना नहीं पड़ेगा तो उन्होंने मना कर दिया की मैं बैठा हूं। इसके बाद मैंने आपको अपना ईशारा कर दिया था।

परिवादी, स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टॉफ को साथ लेते हुए मन् पुलिस निरीक्षक उक्त फर्म में प्रवेश हुआ तो कॉनफ्रेंस रूम की तरफ परिवादी ने ईशारा कर बताया कि श्री रामकरण जी इसके अन्दर बैठे हुए है। इस पर कॉनफ्रेंस रूम का गेट खोलकर अन्दर प्रवेश हुए तो उक्त रूम में एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसकी तरफ परिवादी ने ईशारा कर बताया कि यह रामकरण जी है परिवादी के बतायेनुसार उक्त व्यक्ति को अपना एवं स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो स्टॉफ का परिचय देते हुए उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रामकरण सिनिसनवार पुत्र श्री जालूराम, जाति जाट, उम्र 38 वर्ष निवासी ताजसर, थाना फतेहपुर शेखावाटी, जिला सीकर हाल सिग्नेचर ऑथोरिटी मैसर्स वेदान्ती सोल्यूशन एण्ड एन.सी. इन्टरप्राईजेज, 73-ए, गीजगढ़ विहार, 22 गोदाम के पास, हवा सड़क जयपुर होना बताया। जिससे परिवादी श्री लोकेश जीनगर को पहचानने बाबत पूछा तो श्री रामकरण

सिनसिनवार ने श्री लोकेश जीनगर को पहचानना बताते हुए परिवादी को रोमानिया नौकरी हेतु भेजने के लिए बुलाना बताया। इस पर परिवादी ने श्री रामरकण की बात काटते हुए कहा कि यह झूंठ बोल रहा है इन्होने मुझे मेल करके डिस्ट्रीक्ट कॉर्डिनेटर (डीसी) राष्ट्रीय पोषण एन.एन.एम. हेतु बुलाया है उसके लिए ही रिश्वत ली है। इस पर तसल्ली देकर श्री रामकरण से पूछा तो बताया कि यह सही कह रहे है इसने एन.एन.एम. (राष्ट्रीय पोषण अभियान) में डिस्ट्रीक्ट कॉर्डिनेटर (डीसी) प्रतापगढ़ के लिए आवेदन किया था इनको हमारी कम्पनी की तरफ से मैने दिनांक 25-4-2022 को इन्टरव्यू के लिए बुलाया था यह कल आकर इन्टरव्यू व टाईप टेस्ट दिया था इनसे मैने कल भी दस हजार लिये थे जो मनोज के पास रखवाये थे इस पद पर चयन हेतु मैने इनको 45 हजार रूपये देने के लिए कहा था आज इन्होंने मेरे को शेष 35 हजार रूपये दिये तो मैंने कांउट करने के लिए हमारी कम्पनी के डाटा ऑपरेटर मनोज को दिलवाये थे, हमारे भी खर्चे होते है। इस पर श्री रामरकण से पूछा कि निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाए जयपुर (आईसीडीएस) के अधिकारियों को श्री लोकेश जीनगर से ली गई राशि देनी थी क्या इस पर रामकरण ने कहा कि यह राशि मैने अपने स्तर पर ही ली है अधिकारियों के लिए नहीं ली है। अभ्यार्थियों की डवलपमेंट ट्रेनिंग करवायी जाती है उसका खर्चा लेते है यह सही है कि नियमानुसार अभ्यार्थियो से नकद राशि नहीं ले सकते। इस पर परिवादी श्री लोकेश जीनगर ने श्री रामकरण की बात का खण्डन करते हुए कहा कि ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं होती है मैं पिछले चार साल से काम कर रहा हूं। इन्होने निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाऐ जयपुर के अधिकारियों के लिए रिश्वत मेरा चयन करवाने हेत् ली है। तत्पश्चात् श्री रामकरण ने बताया कि मैं हमारी कम्पनी में बिना पैसो के एक माह से काम कर रहा हूं अभी सैलेरी तय नहीं हुई है अभ्यार्थियों से मैं अपने स्तर पर ही रूपये ले रहा हूं डीसी की सैलेरी तीस हजार होती है यदि चयन के बाद यह सही काम नही करते है तो सीडीपीओ हमे सही काम नही करने की सूचना देते है तो हम अभ्यार्थी कर्मचारियो को तीन बार सही काम करने की चेतावनी देते है फिर भी सही काम नहीं करते तो इनको हटाकर नये अभ्यार्थियो का चयन किया जाता है मैने तीन चार अभ्यार्थीयो से ही पैसे लिये है बाकी पहले चयन हुआ उनसे किसी प्रकार के रूपये नहीं लिए हैं अभ्यार्थी इसलिए पैसा देता है कि उनके स्थान पर दुसरो का चयन नहीं किया जा सके।

तत्पश्चात् उक्त ऑफिस में कान्फ्रेंस रूम के बाहर बैठे हुए एक व्यक्ति की तरफ परिवादी ने ईशारा कर बताया कि यह व्यक्ति मनोज है जिसको मैने श्री रामकरण सिनसिनवार के कहने पर अभी-अभी कुछ समय पहले रिश्वत के 35000/- रूपये दिए थे जिन्होने अपने हाथ मे लेकर उक्त नोटो को गिनकर अपने बदन पर पहनी हुई पेंट की लेफ्ट जेब मे रख लिए थे। जिस पर परिवादी द्वारा बताये गये व्यक्ति को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना, स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो स्टॉफ का परिचय देकर उसका नाम पूरा नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मनोज तंवर पुत्र श्री ओमप्रकाश तंवर, जाति माली, उम्र 38 साल निवासी म0नं0 33, गोविन्दपुरी, रामनगर, सोडाला जयपुर हाल डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, गुल सांई बाबा प्रा.लि. सेकेण्ड फ्लोर, गंगा टॉवर, चित्रकुट, टेगोर नगर, एसबीआई चौराहा, जयपुर होना बताया। जिससे परिवादी श्री लोकेश जीनगर से अभी-अभी कुछ समय पूर्व में लिए गए रिश्वत के पैतीस हजार रूपये बाबत पूछा तो श्री मनोज तंवर ने बताया कि श्री रामकरण के कहने पर मैने लोकेश से अभी-अभी कुछ समय पहले पैतीस हजार रूपये लेकर उनको गिनकर पेंट की जेब मे रखे है तथा परिवादी को पहचानना बताते हुए यह भी बताया कि कल दिनांक 25-4-2022 को भी यह व्यक्ति आया था जिसने श्री रामकरण जी को दस हजार रूपये देने चाहे तो श्री रामकरण जी ने मुझे दस हजार रूपये दिलवाए थे जो मैने लेकर अपने पास रखे थे तथा इनके जाने के पश्चात् मैने उक्त दस हजार रूपये श्री रामकरण जी को वापस दे दिए थे। मुझे पता नहीं है कि यह रूपये श्री रामकरण जी ने किस बात के दिलाए है।

तत्पश्चात् ट्रेप बॉक्स से दो साफ कांच के गिलास निकलवाकर उक्त कम्पनी में लगे हुए वाटर कूलर से प्लास्टिक की बोतल मे साफ पानी मंगवाकर कांच के गिलासो को पुनः धुलवाकर दोनो गिलासो मे साफ पानी डालकर उसमे एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डालकर घोल तैयार करवाया जाकर हाजरीन को दिखाया गया तो हाजरीन गिलासो के घोल को देखकर रंगहीन होना बताया। तत्पश्चात् एक कांच के गिलास के तैयार शुदा घोल मे श्री मनोज तंवर के बांये हाथ की अंगूली व अंगूठे को बारी-बारी से धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे हाजरीन ने गुलाबी रंग होना स्वीकार किया जिसे दो साफ कांच की शिशियो मे आधा-आधा

डालकर मार्क एल-1, एल-2 अंकित कर सील चिट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया।

इसी प्रकार दुसरे कांच के गिलास के घोल मे श्री मनोज तंवर के दाहिने हाथ की अंगूलियों व अंगूठे को बारी-बारी धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे समस्त हाजरीन ने गुलाबी रंग होना स्वीकार किया जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा डालकर सील चिट मोहर मार्क आर-1, आर-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया।

तत्पश्चात् परिवादी के बतायेनुसार रिश्वत के रूपये रामकरण सिनिसनवार के कहने पर श्री मनोज तंवर द्वारा अपने हाथ में लेकर दोनो हाथो से गिनकर अपने बदन पर पहनी हुई पेंट की बांयी जेब मे रखे है। इस पर स्वतंत्र गवाह श्री अबरार अहमद खान से श्री मनोज तंवर के बदन पर पहने हुई पेंट की बांयी जेब की तलाशी लिवाई गई तो पेंट की बांयी जेब से पांच पांच सौ रूपये के नोटो की गड्डी मिली। जिसको स्वतंत्र गवाहान से गिनवाया गया तो पांच पांच सौ रूपये के 70 नोट कुल 35000/- रूपये होना पाए गए। जिनका मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी के नम्बरो से करवाया गया तो हूबहू वही नम्बरी नोट होना पाए गए। उक्त नोटो को एक सफेद कागज मे रख कर सिल चिट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया।

नोट दर्ज रहे कि आरोपी श्री रामकरण सिनसिनवार द्वारा रिश्वत के रूपये अपने हाथ में नहीं लेकर गुन साई बाबा नाम की कम्पनी में काम करने वाले श्री मनोज तंवर को दिलवाए है ऐसी सूरत में श्री रामकरण सिनसिनवार के हाथों का धोवन नहीं लिया गया।

आरोपी श्री मनोज तंवर ने रिश्वत राशि 35000/- रूपये श्री रामकरण सिनसिनवार सिगनेचर ऑथोरिटी मैसर्स वेदान्ती सोल्यूशन एण्ड एन.सी. इन्टरप्राईजेज, 73-ए, गीजगढ़ विहार, 22 गोदाम के पास, हवा सड़क जयपुर के कहने पर अपने हाथ में लेकर अपने बदन पर पहने हुई पेंट की बांयी जेब में रखें थे। इस पर श्री मनोज तंवर की पेंट का धोवन लेना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में बाजार से एक लॉवर मंगवाया जाकर श्री मनोज तंवर के बदन पर पहनी हुई पेंट को उतरवाई जाकर श्री मनोज तंवर को बिदा गया।

तत्पश्चात् ट्रेप बॉक्स से एक साफ कांच का गिलास निकलवाकर उसे उक्त कार्यालय में रखे वाटर कूलर से प्लास्टिक की बोतल में साफ पानी मंगवाकर गिलास को पुनः धुलवाकर उसमें साफ पानी डालकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डालकर घोल तैयार करवाया जाकर हाजरीन को दिखाया गया तो धोवन का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। जिसमें श्री मनोज तंवर के बदन से उतरवाई गई पेंट की बांयी साईड की जेब को उलटवाकर उक्त गिलास के घोल में बारी-बारी से डूबोकर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे समस्त हाजरीन ने गुलाबी रंग होना स्वीकार किया। जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा डालकर सील चिट मोहर कर मार्क पी-1, पी-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया तथा लोवर की जेब को सुखवाकर लोवर को एक कपड़े की थैली में रखकर सील चिट मोहर कर मार्क-पी अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया।

विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डस को बारी-बारी चलाकर सरसरी तौर पर सुना गया तो उसमें रिश्वत लेन देन के वक्त की वार्ता रिकार्ड होना पाई गई है जिसका नियमानुसार फर्द ट्रांसक्रिप्ट व सीडीया तैयार की गई।

ट्रेप कार्यवाही के दौरान एक व्यक्ति उक्त कार्यवाही के दौरान उपस्थित आया जिसे परिवादी श्री लोकेश जीनगर ने पहचानते हुए बताया कि यह सूरजप्रताप सिंह सोलंकी है जिन्होंने कल दिनांक 25-4-2022 को 22500/- रूपये रिश्वत के रूप मे श्री रामकरण जी को दिए है जिस पर उस व्यक्ति को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना, स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टॉफ का परिचय देते हुए नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सूरजप्रताप सिंह सोलंकी पुत्र श्री गणपत सिंह सोलंकी, उम्र 26 साल, जाित राजपूत निवासी 97/4 गांधीनगर, थाना सिटी कोतवाली, जिला चितोड़गढ़ होना बताया तथा यह भी बताया कि ब्लॉक कोर्डिनेटर असिसटेंट (बीपीए) के लिए मैने भी उक्त कम्पनी मे आवेदन किया था इस पर कल दिनांक 25-4-2022 को श्री रामकरण जी ने मुझे बुलाया था जिस

du

पर मैं दिनांक 25-4-2022 को इनसे आकर मिला था तब इन्होने मुझसे मेरी सेलेरी का ढेड़ गुना 22000/- रूपये मांगे थे उस समय मेरे पास मेरी जेब में 20500/- रूपये थे जो मैंने रामकरण जी कहने पर मनोज तंवर को दे दिए थे तथा 1500/- ऑन लाईन मनोज के खाते में जमा किए थे। जिस क्रम में श्री सूरजप्रताप सिंह सोलंकी द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसको शामिल पत्रावली किया गया।

दर्ज रहे कि आरोपी रामकरण सिनसिनवार के पास एक व्यक्ति ओर बैठा हुआ मिला था जिससे नाम पता तथा रामकरण सिनसिनवार के पास उक्त कम्पनी मे आने का कारण व नाम पता पूछा तो उस व्यक्ति ने अपना नाम राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह, जाति चारण, निवासी ग्राम खेड़ी, जाजोद, पुलिस थाना श्रीमाधोपुर, जिला सीकर हाल लेखाधिकारी (आईसीडीएस) समेकित बाल विकास सेवार्ये गांधीनगर जयपुर होना बताया तथा श्री राजेन्द्र सिंह ने यह भी बताया कि मेरे परिचित एक दो आदिमयो को एनएनएम(राष्ट्रीय पोषण अभियान) में रखने हेतु रामकरण को रिक्वेस्ट करने आया था इन्होने कहा था कि खाली होगी तो भविष्य में बता देंगे। श्री राजेन्द्र सिंह को कम्पनी मे अपने परिचित रखवाने वाले व्यक्ति के नाम पूछा तो श्री राजेन्द्र सिंह ने कहा कि परिचितों के नाम याद नहीं है तथा चुप हो गया। श्री राजेन्द्र सिंह ने श्री रामकरण की कम्पनी द्वारा जिन अभ्यार्थीयो को रखते है उसका निदेशालय की कार्यशैली बाबत जानकारी बताने हेतु कहा तो श्री राजेन्द्र सिंह ने बताया कि कम्पनी की सूची हमारे कार्यालय से अनुमोदित होने के बाद एवं इनके कर्मचारी रखने के बाद जब उनकी सैलेरी बनती है उसका बिल हमारे विभाग से पास होता है सेलेरी इनके कर्मचारी के खाते में जाती है जिन कर्मचारी को यह रखते है उनका इन्टरव्यू टेस्ट आदि यह ले सकते है उनसे नकद रूपये लेने का अधिकार इनको नहीं है इन्टरव्यू के बाद कर्मचारी की सूची हमारे यहां भेजते हैं जहां से नये अभ्यार्थीयों के डोक्यूमेंट हमारे विभाग से चैक होते है पुराने अभ्यार्थी को जो पहले पोषण अभियान मे काम करते थे उनके डोक्रूमेन्ट चैक नहीं करते क्योंकि पहले यह काम कर चुके हैं। श्री राजेन्द्र सिंह के बारे में परिवादी श्री लोकेश जीनगर से पुछा तो परिवादी ने कहा कि मै इनको पहले से नहीं जानता हूं मै जब अभी रामकरण जी को रिश्वत देने आया तो यह रामकरण जी के पास बैठे थे रामकरण जी ने इनको मेरा परिचय दिया था कि यह प्रतापगढ़ डीसी है मै जब रामकरण जी को रिश्वत देने लगा तो इन्होने रिश्वत के रूपये मनोज को देने हेतु कहा था तो मै इनके कहने पर रामकरण जी के कमरे के बाहर मनोज जी को रिश्वत दी थी। श्री राजेन्द्र सिंह के सामने रिश्वत का लेन देन नहीं हुआ था श्री राजेन्द्र सिंह से भी पूछने पर कहा कि मेरे सामने श्री लोकेश डीसी ने कोई रिश्वत श्री रामकरण को नही दी थी। श्री रामकरण ने लोकेश को अपने कमरे से बाहर मनोज से मिलने के लिए कहा था। रिश्वत लेन देन रिकार्ड वार्ता मे श्री रामकरण सिनसिनवार द्वारा परिवादी श्री लोकेश जीनगर से परिचय करवाना तथा श्री राजेन्द्र सिंह तथा श्री रामकरण सिनसिनवार के मोबाईल फोन को चैक करने पर आपस में अभ्यार्थियो के चयन के संबंध में सूची व विभागीय दस्तावेजात एवं चयन हेतु अभ्यार्थियो के दस्तावेजात आपस में वाट्सअप किए गए हैं तथा श्री रामकरण सिनसिनवार द्वारा आज भी श्री राजेन्द्र सिंह से मोबाईल फोन पर वार्ता की है इस बारे में श्री रामकरण सिनसिनवार ने पूछने पर बताया कि मैने आज श्री राजेन्द्र सिंह को चयन अभ्यार्थियों की सूची लेकर जाने के लिए बलाया था।

श्री रामकरण सिनसिनवार सिगनेचरी ऑथोरिटी मैसर्स वेदान्ती सोल्यूशन एण्ड एन.सी. इन्टरप्राईजेज, 73-ए, गीजगढ़ विहार, 22 गोदाम के पास, हवा सड़क जयपुर के द्वारा अपने एचपी कम्पनी का लेपटाँप से निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाए, जयपुर को पत्राचार एवं मेल किए जाते हैं लेपटाँप का अवलोकन किया तो निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाए के द्वारा उक्त फर्म को विभागीय ई-निविदा संख्या 6/2021-22 के क्रम में दस्तावेजात प्रस्तुत करने के संबंध में पत्रांक 7536 दिनांक 12-1-2022 एवं निविदा से संबंधित अन्य पत्र क्रमांक 13005 दिनांक 28-1-2022, 32472 दिनांक 3-3-2022, 47293 दिनांक 24-3-2022, 47664 दिनांक 28-3-2022, 60364 दिनांक 21-4-2022, 63193-98 दिनांक 25-4-2022, 55505-17 दिनांक 13-4-2022 के संलग्न सुश्री प्रियंम्बिका के हस्ताक्षरों से जारी क्रम संख्या 01 से 121 तक पोषण अभियान के कण्डीडेटो की सूची आदि तथा सुश्री प्रियंम्बिका पंवार जेपीसी-11 के हस्ताक्षरों से अभ्यार्थियों की लिस्ट क्रम संख्या 01 से 18 तक तथा श्री रामकरण सिनसिनवार के हस्ताक्षरों से अभ्यार्थियों की क्रम संख्या 01 से 17 तक तथा क्रम संख्या 01 से 12, 01 से 06, क्रम संख्या 01 से 11 तक जारी सूची तथा

मैसर्स वेदान्ती सोल्यूशन के द्वारा डायरेक्टर आईसीडीएस को जारी पत्र एवं लिस्ट ऑफ कण्डीडेन्ट फॉर न्यू जोईनिंग एनएनएम प्रोजेक्ट क्रम संख्या 01 से 135 जारी की हुई सूची आदि है इससे यह स्पष्ट है कि श्री रामकरण सिनसिनवार द्वारा अभ्यार्थियों की चयन सूची तैयार करके संबंधित विभाग से पत्राचार करके अभ्यार्थियों का रिश्वत लेकर संबंधित विभाग से चयन करवाता है।

आरोपी श्री रामकरण सिनसिनवार के मोबाईल सेमसंग कम्पनी के वाट्सअप नम्बर 9587376544 व बिजनेस व्हाटसअप नम्बर 8949155095 के अवलोकन पर पाया गया है कि आरोपी श्री रामकरण सिनसिनवार अपने अधीनस्थ ब्लॉक कोर्डिनेटरो के मध्य राष्ट्रीय पोषण अभियान (एनएनएम) के तहत नियुक्त किए जाने वाले आवेदको के संबंध में डोक्यूमेन्ट तथा रिज्यूम प्राप्त करने के संबंध में तथा नियुक्त करने के संबंध में श्री बिजेन्द्र बुढ़ानिया के खाता संख्या 001201566470 (आईसीआईसी बैंक) में रिश्वत के रूपये ट्रांसफर करवाए गए है जिसके स्क्रीन शॉट आरोपी श्री रामकरण सिनसिनवार के वाट्सअप नम्बरों 9587376544 व बिजनेस व्हाटसअप नम्बर 8949155095 पर भिजवाये गये है जिसमें आरोपी श्री रामकरण के मोबाइल में बीसी आशु झेलवाल जालौर के नाम से सेव किये हुए नम्बर से दिनांक 25.04.2022 को फोन पे एप द्वारा समय 9.00 पीएम पर 30,000 रूपये का ट्रांसफर, दिनांक 25.04.2022 को फोन पे एप द्वारा समय 09.23 पीएम पर 30,000 रूपये का ट्रांसफर, दिनांक 25.04.2022 को फोन पे एप द्वारा समय 03.20 पीएम पर 20,000 रूपये का ट्रांसफर, दिनांक 25. 04.2022 को फोन पे एप द्वारा समय 03.23 पीएम पर 25,00 रूपये का ट्रांसफर, इसी प्रकार आरोपी श्री रामकरण के मोबाइल में बीसी दीपक जी प्रतापगढ़ के नाम से सेव किये हुए नम्बर से केनरा बैक में ट्रांजेक्शन आईडी T2204241809443892040438 से 22000 रूपये भेजे गये है इसी प्रकार दिनांक 24.04.2022 को समय 06.07 पीएम पर 22,000 रूपये 72204241807012435130297 से रूपये भेजे गये है। इसी प्रकार आरोपी श्री रामकरण के मोबाइल में बूढानिया के नाम से सेव किये हुए नम्बर से दिनांक 26.04.2022 को समय 09.19 एएम पर 1,26,000 रूपये वैदांती सौल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड के खाता संख्या 2221240437863504 में श्री विजेन्द्र बुढानिया के खाता संख्या 001201566470 (आईसीआईसी बैंक) के द्वारा ट्रांसफर किये हुयें है जिसकी रेफरेन्स आईडी 0382454803 है इससे स्पष्ट है कि आरोपी श्री रामकरण सिनसिनवार द्वारा श्री विजेन्द्र बुडानिया के बैक खातों में आवेदको को उक्त योजना में नियुक्ति देने के एवज में रिश्वित राशि प्राप्त की गई है तथा सम्बन्धित फर्म वैदांती सौल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड के खाता संख्या 2221240437863504 में ट्रांसफर किये गये है जिससे स्पष्ट मिलीभगत प्रतीत होती है इसी प्रकार आरोपी श्री रामकरण के मोबाइल में सेव नम्बर 8003306405 व रामकरण यादव मोबाइल नम्बर 9799082910 से भी पैसे स्थानातंरण के स्क्रीन शाट आरोपी के मोबाईल वाटसअप पर भेजे गये है जिनके संबंध में श्री रामकरण सिनसिनवार से पूछताछ की गई तो श्री रामकरण सिनसिनवार ने बिजेन्द्र बुढानिया सीकर का रहने वाला है जो मेरे कॉलेज में मेरा जूनियर था हमारी कम्पनी में जिन अभ्यार्थियों का चयन होता है उनको वेतन भुगतान करना होता है इसलिए कर्मचारियो के वेतन देने हेतु श्री बिजेन्द्र बुढानिया से उक्त राशिः उधार ली है। श्री रामकरण सिनसिनवार की बात को काटते हुए परिवादी श्री लोकेश जीनगर ने बताया कि यह झुंठ बोल रहे है श्री बिजेन्द्र बुढानिया इनका दलाल है जो अभ्यार्थियो से उनके चयन इनकी कम्पनी में करवाने हेतु रिश्वती राशि अभ्यार्थियों से इक्कठी करके श्री रामकरण सिनसिनवार की कम्पनी मे पंमेन्ट डाल देता था। परिवादी के उक्त कथनो की ताईद श्री रामकरण सिनसिनवार तथा बिजेन्द्र बुढानिया के मोबाईल फोन पर की गई वाट्सअप चैटिंग से भी होती है। उक्त चैटिंग व भुगतन से संबंधित वार्सअप पर भेजे गए स्क्रीन शॉट जो रामकरण सिनसिनवार के मोबाईल मे है उक्त चैटिंग एवं भुगतान से संबंधित का स्क्रीन शॉट पृष्ठ संख्या 01 से 66 तक का प्रिन्ट निकलवाया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाए जाकर शामिल पत्रावली किए गए। उक्त चैटिंग व भूगतान से संबंधित श्री बिजेन्द्र बुढानिया व अन्य लोगो की श्री रामकरण सिनसिनवार तथा संबंधित कम्पनी से रिश्वत लेन देन मे अहम भूमिका प्रतीत होती है जिसके सम्बन्ध में अनुसंधान से स्थिति स्पष्ट की

दर्ज रहे कि समय करीब 3.30 पीएम पर डॉ. भागचंद बघाल, अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार) एवं प्रभारी अधिकारी पोषण अभियान, निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएँ, जयपुर ट्रेप कार्यवाही के दौरान उपस्थित आए जिनसे श्री रामकरण सिनसिनवार द्वारा निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएँ के अधिकारियों के नाम पर पोषण अभियान में अभ्यार्थियों से रिश्वत लेने के संबंध में अपना स्पष्टीकरण देने हेतु कहा जिन्होंने अपना पृथक से लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जो शामिल

पत्रावली किया गया। उक्त डॉ भागचंद बघाल ने अपने स्पष्टीकरण में उक्त कम्पनी के निविदा से संबंधित प्रक्रिया बताते हुए उनके द्वारा उक्त कम्पनी तथा रामकरण सिनसिनवार को अभ्यार्थियो से रिश्वती राशि नहीं लेने हेतु कहा है तथा नियमानुसार अभ्यार्थियों से कम्पनी द्वारा किसी भी प्रकार की राशि प्राप्त की है तो वह नियम विरूद्ध है।

अब तक की कार्यवाही से श्री रामकरण सिनसिनवार पुत्र श्री जालूराम, जाति जाट, उम्र 38 वर्ष निवासी ताजसर, थाना फतेहपुर शेखावाटी, जिला सीकर हाल सिग्नेचर ऑथोरिटी मैसर्स वेदान्ती सोल्युशन एण्ड एन.सी. इन्टरप्राईजेज, 73-ए, गीजगढ़ विहार, 22 गोदाम के पास, हवा सड़क जयपुर व श्री मनोज तंवर पुत्र श्री ओमप्रकाश तंवर, जाति माली, उम्र 38 साल निवासी म0नं0 33, गोविन्दपुरी, रामनगर, सोडाला जयपुर हाल डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, गुन सांई बाबा प्रा.लि. सेकेण्ड फ्लोर, गंगा टॉवर, चित्रकुट, टेगोर नगर एसबीआई चौराहा, जयपुर द्वारा आपसी मिली भगत कर श्री रामकरण सिनसिनवार ने स्वयं को लोकसेवक के रूप मे अभ्यार्थियो के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अभ्यार्थियो को सरकार के द्वारा पोषण अभियान कार्यक्रम मे समेकित बाल विकास सेवाये से संबंधित अभियान में कर्मचारी के रूप में चयन करवाने के लिए निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाऐ के अधिकारी/कर्मचारियो के लिए चयन होने वाले अभ्यार्थियो से रिश्वत की राशि प्राप्त की है तथा रिश्वती राशि श्री रामकरण ने परिवादी तथा अन्य अभ्यार्थियो से नकद तथा श्री मनोज तंवर व अन्य अपने परिचित बीजेन्द्र बुढानिया के खाते मे प्राप्त किये है श्री बीजेन्द्र बुढानिया ने उक्त राशि को मैसर्स वेदान्ती सोल्युशन एण्ड एन.सी. इन्टरप्राईजेज के खाते मे ट्रांसफर किये है यह मैसेज आरोपी श्री रामकरण के मो0नं0 8949155095 में पाये गये हैं। इस प्रकार आवेदको के साथ ट्रेनिंग के नाम पर छल कर परिवादी एवं अन्य आवेदको से अवैध राशि वसूल कर समेकित बाल विकास सेवाए के उच्चाधिकारियों को देने के लिए परिवादी श्री लोकेश जीनगर को डिस्ट्रीक्ट कॉर्डिनेटर (डीसी) एनएनएम (राष्ट्रीय पोषण अभियान) के पद पर नियुक्त दिलवाने की ऐवज में दिनांक 25-4-2022 को रिश्वत मांग सत्यापन में श्री रामकरण सिनसिनवार द्वारा 45,000/- रूपये की मांग कर रिश्वत मांग सत्यापन के दोरान 10,000/- रूपये श्री मनोज तंवर को दिलवाना व शेष राशि 35000/- रूपये दिनांक 26-4-2022 को लेन देन तय हुआ। रिश्वत मांग के अनुसरण मे आज दिनांक 26-4-2022 को शेष रिश्वती राशि 35000/- रूपये परिवादी लोकेश जीनगर श्री रामकरण सिनसिनवार को देने हेतु आया तो श्री रामकरण सिनसिनवार द्वारा रिश्वती राशि 35000/- रूपये स्वयं नहीं लेकर अपने सहयोगी श्री मनोज तंवर को देने हेतु कहा गया जिस पर परिवादी श्री लोकेश जीनगर द्वारा रिश्वती राशि 35000/- रूपये श्री मनोज तंबर को दी तो श्री मनोज तंबर द्वारा रिश्वती राशि अपने हाथ में लेकर तथा उनको गिनकर अपने बदन पर पहनी हुई पेंट की बांयी जेब में रखना तथा रिश्वती राशि मनोज तंवर की पेंट की बांयी जेब से बरामद होना पाया गया है। जिससे इनका उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम वर्ष 2018 व 420, 120बी भा0दं०सं० का पाया जाने पर श्री रामकरण सिनसिनवार पुत्र श्री जालूराम, जाति जाट, उम्र 38 वर्ष निवासी ताजसर, थाना फतेहपुर शेखावाटी, जिला सीकर हाल सिग्नेचर ऑथोरिटी मैसर्स वेदान्ती सोल्यूशन एण्ड एन.सी. इन्टरप्राईजेज, 73-ए, गीजगढ़ विहार, 22 गोदाम के पास, हवा सड़क जयपुर व श्री मनोज तंवर पुत्र श्री ओमप्रकाश तंवर, जाति माली, उम्र 38 साल निवासी म**ं** नं 33, गोविन्दपुरी, रामनगर, सोडाला जयपुर हाल डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, गुन सांई बाबा प्रा.लि. सेकेण्ड फ्लोर, गंगा टॉवर, चित्रकुट, टेगोर नगर एसबीआई चौराहा, जयपुर को पृथक-पृथक जरिये फर्द गिरफ्तारी नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। घटनास्थल का नक्शा मौका पृथक से तैयार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। परिवादी के पैण्डिंग कार्य से संबंधित दस्तावेजात निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाऐ जयपुर से प्राप्त होने पर पृथक से जरिये फर्द जप्ती प्राप्त किये गये।

समय करीब 5.00 पीएम पर तलब शुदा सुश्री प्रियम्बिका पंवार, जेपीसी-11, पोषण अभियान, निर्देशालय समेकित बाल विकास सेवाए, जयपुर दौराने ट्रेप कार्यवाही मौके पर उपस्थित आ चुके हैं। श्री संजय कुमार पुलिस उप अधीक्षक ने बताया कि मैसर्स वेदान्ती सोल्यूशन एण्ड एन.सी. इन्टरप्राईजेज, 73-ए, गीजगढ़ विहार, 22 गोदाम के पास, हवा सड़क जयपुर के मालिक उदयपुर गए हुए हैं। सुश्री प्रियम्बिका पंवार से उनका नाम पता पूछा तो उन्होंने अपना नाम सुश्री प्रियम्बिका पंवार पुत्री स्व. श्री नगेन्द्र सिंह, उम्र 42 वर्ष निवासी 155ए, संतोष सागर कॉलोनी, ब्रहमपुरी रोड़, जयपुर हाल जेपीसी-11, पोषण अभियान, निदेशालय समेकिता बाल विकास सेवाएं, जयपुर होना बताया। जिनसे रामकरण द्वारा उनके नाम पर तथा निदेशालय के अधिकारियो के नाम पर परिवादी एवं अन्य

अभ्यार्थियों से रिश्वत प्राप्त करने के क्रम में पूछताछ की गई तो सुश्री प्रियम्बिका पंवार ने बताया कि श्री रामकरण सिनसिनवार तथा उनकी फर्म मैसर्स वेदान्ती सोल्यूशन एण्ड एन.सी. इन्टरप्राईजेज, 73-ए, गीजगढ़ विहार, 22 गोदाम के पास, हवा सड़क जयपुर को पोषण अभियान के अर्न्तगत कर्मचारियों को इन्टरव्यू तथा टेस्ट लेने के बाद तीस दिन में संबंधित अभ्यार्थियों की चयन सूची भेजने हेतु दिनांक 28 मार्च 2022 को पत्र जारी किया था जिसके क्रम मे उक्त कम्पनी को संबंधित अभ्यार्थियों का इन्टरव्यू एवं टेस्ट लेकर सूची दिनांक 25 अप्रेल 2022 तक हमारे विभाग में भेजी जानी थी उक्त कम्पनी द्वारा टुकड़ो में चयन हेतु अभ्यार्थियों की सूची हमारे विभाग में भंजी है जिसके आधार पर हमारे विभाग द्वारा भी उसी के अनुसार चयनित अभ्यार्थियो को सूची संबंधित जिला एवं ब्लॉक अधिकारियों को भेज दी गई थी। उक्त कम्पनी ने एक साथ अभ्यार्थियों की सूची नहीं भेजी इसलिए सभी अभ्यार्थियों की सूची एक साथ जारी नहीं की गई है। सुश्री प्रियम्बिका पंवार को कम्पनी द्वारा एक साथ सूची नहीं भेजने बाबत पूछा तो बताया कि नियमानुसार तो कम्पनी को एक साथ सूची भेजनी चाहिए थी लेकिन कम्पनी ने टुकड़ो मे चयन सूची भेजी है जो गलत है। इससे स्पष्ट है कि उक्त कम्पनी के श्री रामकरण सिनसिनवार द्वारा जो अभ्यार्थी चयन हेतु रिश्वत राशि देते थे उसी का नाम सूची मे अंकित कर समेकित बाल विकास सेवाऐ जयपुर को भेज दिया जाता था तथा जो रिश्वती राशि नहीं देते थे उनका नाम चयन सूची में नहीं रखा जाता था तथा श्री रामकरण सिनसिनवार द्वारा भेजी गई सूची को निदेशालय द्वारा अनुमोदन कर दिया जाता था। रिश्वत मांग सत्यापन के दोरान भी श्री रामकरण सिनसिनवार ने परिवादी को यह कहना कि विभाग से पंगा कोन ले। जिससे श्री रामकरण एवं निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाऐ, जयपुर के अधिकारियो एवं कर्मचारियो की मिली भगत प्रतीत होती है। परिवादी द्वारा रिश्वती राशि नहीं दी इसलिए उसका नाम चयन सूची में नहीं दिया गया लेकिन दिनांक 25-4-2022 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान रिश्वत के रूप में एडवास राशि 10,000/- रूपये तथा शेष 35000/- रूपये दिनांक 26-4-2022 को देने पर श्री रामकरण ने परिवादी को सूची मे नाम जोड़ने का आश्वासन दिया है। उक्त कार्यवाही के दौरान प्राप्त साक्ष्यों से श्री रामकरण सिनसिनवार द्वारा अभ्यार्थियों से रिश्वत लेकर सूची मे अभ्यार्थियो के नाम जोड़ने की पुष्टि होती है। श्री रामकरण सिनसिनवार तथा निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएँ जयपुर के अधिकारियों/कर्मचारियो की आपस मे मिली भगत प्रतीत होती हैं जो अनुसंधान से स्पष्ट की जावेगी।

दौराने ट्रेप कार्यवाही श्री राजेन्द्र सिंह लेखाकार कार्यालय निदेशालय समेकिता बाल विकास सेवाएं, जयपुर श्री रामकरण सिनसिनवार के कार्यालय में मौजूद था जिसके बारे में श्री रामकरण सिनसिनवार द्वारा दौराने पूछताछ श्री राजेन्द्र सिंह को अभ्यार्थियों की सूची लेने हेतु टेलीफोन करके बुलाया था इस संबंध में मौके मौजूद निदेशालय समेकिता बाल विकास सेवाए जयपुर सुश्री प्रियम्बिका पंवार से श्री राजेन्द्र सिंह को सूची उपलब्ध करवाने के बारे में पूछा तो सुश्री प्रियम्बिका पंवार ने बताया कि नियमानुसार श्री राजेन्द्र सिंह उक्त सूची प्राप्त करने के लिए अधिकृत नहीं है कम्पनी द्वारा चयन सूची विभाग को अपने स्तर पर उपलब्ध करवाई जाती है। इस संबंध में श्री राजेन्द्र सिंह का मोबाईल जिरये फर्ट जप्ती पृथक से जप्त किया जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। श्री राजेन्द्र सिंह लेखाधिकारी आईसीडीएस जयपुर व श्री रामकरण के साथ मिलना तथा मौके पर श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा दिया गया उक्त स्पष्टीकरण से श्री राजेन्द्र सिंह लेखाधिकारी की भूमिका संदिग्ध प्रतीत होती है जो अनुसंधान से स्पष्ट की जावेगी।

आरोपी श्री रामकरण सिनसिनवार के दो मोबाईल फोन तथा एक लेपटॉप में उक्त कार्यवाही संबंधित वजह सबूत तथा श्री मनोज तंवर के मोबाईल फोन मे भी वजह सबूत मिलने की संभावना है। अत: उक्त मोबाईल फोन एवं लेपटॉप को जिरये फर्द जप्ती जप्त किया जाकर बतौर वजह सबूत लिया गया।

इस प्रकार रिश्वत मांग सत्यापन व लेन देन रिकार्ड वार्ता तथा श्री रामकरण सिनिसनवार के लेपटॉप व मोबाईल फोन पर हुई चैटिंग व अभ्यार्थियो के द्वारा श्री रामकरण के परिचित बिजेन्द्र बुढ़ानिया के मार्फत चयन हेतु भेजी गई राशि से तथा परिवादी से प्राप्त रिश्वती राशि से यह प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित है कि श्री रामकरण सिनिसनवार द्वारा जिन अभ्यार्थियो से रिश्वती राशि प्राप्त कर ली जाती थी उनके नामों की चयन सूची तैयार कर निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएँ जपुर को भेज दी जाती थी तथा निदेशालय के अधिकारियो द्वारा श्री रामकरण सिनिसनवार से मिली भगत कर उस सूची के अभ्यार्थियो को चयन कर लिया जाता था। इस प्रकार श्री रामकरण सिनिसनवार

du

व अन्य ने निर्देशालय समेकित बाल विकास सेवाएँ जयपुर के आपसी सांठ गांठ कर उक्त आपराधिक कृत्य किया है।

अत: आरोपीगण (1) श्री रामकरण सिनिसनवार पुत्र श्री जालूराम, जाति जाट, उम्र 38 वर्ष निवासी ताजसर, थाना फतेहपुर शेखावाटी, जिला सीकर हाल सिग्नेचर ऑथोरिटी मैसर्स वेदान्ती सोल्यूशन एण्ड एन.सी. इन्टरप्राईजेज, 73-ए, गीजगढ़ विहार, 22 गोदाम के पास, हवा सड़क जयपुर एवं (2) श्री मनोज तंवर पुत्र श्री ओमप्रकाश तंवर, जाति माली, उम्र 38 साल निवासी म0नं0 33, गोविन्दपुरी, रामनगर, सोडाला जयपुर हाल डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, गुन सांई बाबा प्रा.िल. सेकेण्ड फ्लोर, गंगा टॉवर, चित्रकुट, टेगोर नगर एसबीआई चौराहा, जयपुर व अन्य के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 व 420, 120बी भाठदं०सं0 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रेषित है।

(मानवन्द्र सिंह) पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण,जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मानवेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 420, 120बी भादंसं में आरोपी 1. श्री रामकरण सिनसिनवार, हाल सिग्नेचर ऑथोरिटी मैसर्स वेदान्ती सोल्यूशन एण्ड एन.सी. इन्टरप्राईजेज, 73-ए, गीजगढ विहार, 22 गोदाम के पास, हवा सड़क, जयपुर 2. मनोज तंवर हाल डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, गुन सांई बाबा प्रा.लि. सेकेण्ड फ्लोर, गंगा टावर चित्रकूट, टेगोर नगर, एस.बी. आई चौराहा, जयपुर एवं अन्य के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 144/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना की प्रतियाँ रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तप्तीश जारी है।

कर्माक 1272-76 दिनांक 27.04.2022

- प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर, कं.स.-1, जयपुर।
 - 2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
 - 3. निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
 - 4. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
 - 5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर देहात, जयपुर।

उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।